अतिआवश्यक – PMAY-G

राजस्थान–सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(42)ग्राविवि–5/Pmay-G/M-1/प्रगति–2 2017–18 जयपुर, दिनांक 14 मार्च, 2019

जिला कलक्टर, समस्त
राजस्थान।

विषयः– **100 दिवसीय कार्य योजना के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत निर्धारित 1 वर्ष की अवधि उपरान्त भी अपूर्ण आवासों को पूर्ण कराने हेतु समय सीमा 31 मार्च 19 तक बढाने बाबत।**

प्रसगः– विभागीय पत्र दि. 16.11.18, 04.12.18, 13.12.18, 21.12.18, 23.1.19, 06.02.19, 18.2.19, 1.3.19 एवं 08.03.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश व राज्य सरकार के विनिश्चय अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण अंतर्गत वर्ष 2016–17 से 2018–19 के दौरान स्वीकृत आवासों को 31.03.2019 तक पूर्ण कराये जाने के क्रम में विभागीय पत्र दिनांक 23.01.2019 द्वारा प्रतिदिवस 2583 आवास पूर्ण करने के जिलेवार लक्ष्य आवंटित किये गये।

योजनान्तर्गत 31 मार्च, 2019 तक स्वीकृत सभी आवास पूर्ण कराने हेतु स्वीकृति के 1 वर्ष पश्चात भी अपूर्ण रहे आवासों की किश्त के एफटीओ पर रोक के प्रावधान को 31 मार्च, 2019 तक के लिए हटा दिया गया है।

राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण में स्वीकृत प्रगतिरत/अपूर्ण 175612 आवासों को पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। आवास साफ्ट पर दर्ज प्रगति दिनांक 12.03.2019 अनुसार जिलों द्वारा प्रतिदिन आवंटित लक्ष्यों के विरूद मात्र 35% प्रगति अर्जित की गई है, जो खेदजनक है। योजनान्तर्गत आदिनांक की प्रगति अनुसार 129079 अपूर्ण आवासों को 31 मार्च 2019 तक पूर्ण कराया जाना है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि योजना की नियमित समीक्षा कर दैनिक लक्ष्यानुसार अपूर्ण 129079 आवासों को दिनांक 31 मार्च 2019 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कराना सुनिश्चित करावें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(राजेश्वर सिंह)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्यमंत्री एवं मा. मंत्री महोदय, ग्रावि एव पंरावि राजस्थान जयपुर।
2. संयुक्त सचिव (ग्रामीण आवास), ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
4. निजी सहायक, विशिष्ठ शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5. परि.निदे.एवं उप सचिव (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग को 100 दिवसीय कार्य योजना के संबंध मे।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (ग्राविवि), समस्त, राजस्थान।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)